महेश बनाम राजस्थान सरकार
2025/66
निर्णय दिनांकः—15.04.2026

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार—I आर.ए.एस.)

दर्ज तिथिः—27.05.2025

वाद संख्याः— 2025/66

1. महेश पुत्र दानाराम जाति मेघवाल निवासी कडवासर तहसील चूरू जिला चूरू

—वादी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

—प्रतिवादी—

2. प्रमेश्वरलाल पुत्र दानाराम जाति मेघवाल निवासी कड़वासर तहसील व जिला चूरू
3. महेन्द्रकुमार पुत्र दानाराम जाति मेघवाल निवासी कड़वासर तहसील व जिला चूरू
4. सन्तोष देवी पुत्री दानाराम जाति मेघवाल निवासिनी कड़वासर तहसील चूरू जिला चूरू
5. मूलीदेवी पत्नी दानाराम जाति मेघवाल निवासिनी कड़वासर तहसील चूरू जिला चूरू
6. स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया शाखा चूरू जरिए प्रबन्धक
7. केनरा बैंक शाखा चूरू जरिए प्रवन्धक

—गौण प्रतिवादीगण—

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री सुरेन्द्र डूडी
प्रतिवादीगणः— श्री नानकराम डूडी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 88
राजस्थान काश्तकारी अधि.—1955

निर्णय

1. आज पत्रावली अन्तर्गत धारा—88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। पत्रावली का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि कृषि भूमि ख.नं. 479/289 तादादी 3.5536 हैक्टेयर रोही मौजा कड़वासर तहसील चूरू जिला चूरू वादी एंव गौण प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 की सयुंक्त खातेदारी, कब्जा कास्त की भूमि है जिसमें वादी का 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है प्रमाण स्वरूप [illegible] प्रमाणित प्रतिलिपि पेश है यही वादगत कृषि भूमि है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:02 IST
Reason: SelfAttested

2. वादगत कृषि भूमि पूर्व में [illegible] के पिता व गौण प्रतिवादिनी सं. 5 के पति दानाराम की [illegible] भूमि रही वादी के पिता [illegible]राम का स्वर्गवास होने पर उसके जायज वारिसान के नाम [illegible] (वादी व गौण प्रतिव[illegible] संख्या 2 ता 5) इन्तकाल दर्ज किया तब वादी के पिता दानाराम का कुर्सीनामा पेश किया उसमें वादी का नाम रमेश कुमार गलत लिखा दिया गया—उक्त गलत नाम के अंकन के आधार पर वादगत कृषि

भूमि के राजस्व रिकार्ड में बादी का नाम रमेश कुमार पुत्र दानाराम दर्ज कर दिया गया। रमेश कुमार नाम की कोई पुत्र सन्तान दानाराम के पैदा भी नहीं हुई थी।

3. वादी का सही व असली नाम महेश है वादी को घर में, गांव में, ससुराल में, रिश्तेदारी में, तमाम जान पहचान के लोग वादी को महेश के नाम से जानते पहचानते है तथा महेश के नाम से ही पुकारते है वादी की पहचान का प्रत्येक दस्तावेज जैसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड राजस्थान सरकार द्वारा जारी जन आधार कार्ड, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता सूचि बैंक खाता, मनरेगा में मजदूरी वास्ते बना जोब कार्ड में वादी का सही नाम महेश अंकित है वादी के पुत्रगण नरेन्द्र, किसन के जन्म प्रमाण पत्रो में पिता के स्थान पर वादी का सही नाम महेश अंकित है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड में वादी का सही नाम महेश अंकित है ग्राम पंचायत कड़वासर द्वारा जारी प्रमाण पत्र मे लिखा है कि रमेशकुमार व महेश कुमार दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है इन तमाम दस्तावेजात से स्पष्ट व साबित है कि वादी का सही व असली नाम महेश ही है। प्रमाण स्वरूप उपर वर्णित दस्तावेजात की फोटो प्रतिलिपियां पेश है।

4. वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम महेश के स्थान पर रमेशकुमार अंकित होने से वादी भारत सरकार एंव राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओ के लाभ व परिलाभो से जैसे के.सी.सी. बीमा, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना मुख्य मंत्री सम्मान निधि योजना, ई फार्मर, आई.डी. आदि से वंचित हो रहा है भूमिधारी होते हुए भी भूमिहीन चला आ रहा है ऐसी सूरत में वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वादी वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपने गलत दर्ज नाम रमेशकुमार के स्थान पर सही नाम महेश दर्ज करवाये व सही नाम की घोषणा वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की करवाये अर्थात इस आश्य का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाये इस हेतु यह वाद वादी पेश किया जा रहा है।

5. वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने गलत नाम को सही करवाने के लिए वादी ने प्रतिवादी सं. 1 से कई बार सम्पर्क किया व परिचितो को साथ ले जा कर भी उनसे कई बार मिला पहले तो प्रतिवादी सं. 1 हाँ हूँ करते रहे – मगर आखिर में यह कह कर दिंनाक 17.03.2025 को स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया कि आपका मामला राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती बाबत है मैं राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने के लिए कानूनन सक्षम नहीं हूँ इसलिए आप माननीय उपखण्ड अधिकारी चूरू के समक्ष राजस्व रिकार्ड को दुरुस्ती का दावा करो । वादी वादगत कृषि भूमि का संयुक्त खातेदार काबिज कास्तकार होने से इस दावा के प्रति वादी को आधार प्राप्त है तथा प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा की गई स्पष्ट ईन्कारी की तिथि से वादी को इस दावा के प्रति कारण प्राप्त है।

6. वादगत कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी सं. 1 के पावर व पजेशन में है दावा वादी स्वीकार होकर डिकी होने की सूरत में मुताबिक डिकी के सारी कार्यवाही प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा की जानी है इसलिए प्रतिवादी सं. 1 को पक्षकार वाद बनाया गया है चूंकि वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध कोई तात्कालिक अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए दावा वादी पेश करने से पूर्व प्रतिवादी सं. 1 को धारा 80 [illegible] का नोटिस दिए बिना ही यह दावा वादी पेश किया जा रहा है।

7. गौण प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 वादगत कृषि भूमि के संयुक्त खातेदार काबिज काश्तकार है तथा गौण प्रतिवादी सं. 6 बैंक के यहां गौण प्रतिवादीगण सं. 5 व 2 ने वादगत कृषि भूमि में अंकित अपने अपने हिस्सा को रहन रख रखा है तथा गौण प्रतिवादी सं. 7 बैंक के यहा गौण प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 ने वादगत कृषि भूमि में अपने अपने हिस्सा को रहन रख रखा है इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:02 IST
Reason: SelfAttested

कारण से वादी द्वारा दावा में कानूनी कमी को दूर करने की मन्शा से इन सभी को बतौर गौण प्रतिवादीगण पक्षकार वाद बनाया है।

8. वादगत कृषि भूमि श्रीमानजी के अधिकार क्षेत्र में स्थित होने से इस दावा क प्रति श्रीमानजी को हर प्रकार से श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार प्राप्त है दावा वादी उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है।

अतः दावा वादी पेश कर अर्ज है कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जा कर बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावेः–

(क) घोषणा इस आशय की की जावे कि कृषि भूमि ख.नं. 479/289 तादादी 3.5536 हैक्टेयर रौही मौजा कड़वासर तहसील चूरू जिला चूरू के राजस्व रिकार्ड में अंकित रमेशकुमार पुत्र दानाराम हिस्सा 1/5 मेघवाल निवासी कड़वासर खातेदार न होकर महेश पुत्र दानाराम हिस्सा 1/5 मेघवाल निवासी कड़वासर खातेदार काबिज काश्तकार है।

(ख) कृषि भूमि ख.नं. 479/289 तादादी 3.5536 हैक्टेयर रौही मौजा कड़वासर तहसील चूरू जिला चूरू के राजस्व रिकार्ड में अंकित रमेशकुमार पुत्र दानाराम हिस्सा 1/5 मेधवाल निवासी कड़वासर के स्थान पर महेश पुत्र दानाराम हिस्सा 1/5 मेघवाल निवासी कड़वासर अंकित किए जाने का आदेश फरमावे । इस आशय का राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे ।

(घ) अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने सुनवाई वाद हो जावे वोह भी प्रदान किया जावे। श्रीमानजी की बड़ी कृपा होगी ।

9. वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादी की तलबी की गई प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता श्री नानकराम डूडी ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 भूमिधारी है।

10. अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई बहस के दौरान प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि रेवेन्यु रिकॉर्ड, जमाबंदी आदि में खातेदार रमेश कुमार पुत्र दानाराम के नाम के स्थान पर महेश पुत्र दानाराम जाति मेघवाल निवासी कड़वासर दर्ज किये जाने का आदेश व डिक्री जारी की जावें। रेवेन्यु रिकॉर्ड में उपरोक्त लिखे अनुसार नाम दुरुस्ती करने का आदेश फरमावें।

11. आज प्रकरण निर्णय हेतु प्रस्तुत हुआ। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक अंतिम चौसाला आधार संवत 2070–2073 जमाबंदी 2074 (वर्ष 2017) से स्थायी खसरा संख्या 479/289/3.5536 हैक्ट. वाके ग्राम कड़वासर पटवार मण्डल सहजूसर में वादी का नाम रमेश कुमार पुत्र दानाराम खातेदार दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत कड़वासर के अनुसार रमेश कुमार पुत्र दानाराम व महेश पुत्र दानाराम एक ही व्यक्ति होना अंकित है। प्रार्थी द्वारा उपलब्ध दस्तावेजात आधार कार्ड, [illegible] पास–बुक, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड प्रार्थी का नाम महेश पुत्र दानाराम [illegible] द्वारा जमाबन्दी में नाम रमेश कुमार पुत्र दानाराम को शुद्ध नहीं [illegible] नाम संशोधन कर रमेश कुमार पुत्र दानाराम के बजाय दस्तावेजों के अनुसार [illegible] पुत्र दानाराम शुद्ध करवाना चाहा गया है। राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में दर्ज नाम [illegible]न्नता होने से वादिया को कठिनाई होना प्रत्यक्ष है। वादी वादगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है इसलिए उसे राजस्व रिकार्ड में अपने गलत दर्ज नाम को अपने दस्तावेजों के अनुरूप दुरूस्त करवाने का अधिकार है। वादी का नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:02 IST
Reason: SelfAttested

दुरूस्त किये जाने से भूमिधारी राज्य सरकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना भी परिलक्षित नहीं है। इस प्रकार वादी द्वारा पेश दस्तावेजों व शपथ—पत्र से दावा उसके पक्ष में प्रमाणित होता है। अतः वादी का असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अद्यद्यित किया जाकर मिलान किया जाना आवश्यक है ताकि वादी अपने खातेदारी अधिकारों का अबाद व पूर्ण उपयोग कर सके। अतः वादी के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक अन्य दस्तावेज असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः वादी का दावा, अन्य दस्तावेज व सरपंच रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

वादिया का दावा अन्तर्गत धारा—88 राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 अंतिम चौसाला आधार संवत 2070—2073 जमाबंदी 2074 (वर्ष 2017) से स्थायी खसरा संख्या 479/289/3.5536 हैक्ट. वाके ग्राम कड़वासर पटवार मण्डल सहजूसर तहसील व जिला चूरू, अन्य दस्तावेज व सरपंच रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं वादिया की खातेदारी आराजी में नाम संबंधी इन्द्राज रमेश कुमार पुत्र दानाराम को कलमजन कर मुताबिक अन्य दस्तावेजात महेश पुत्र दानाराम का अंकन करने के आदेश तहसीलदार चूरू को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार—I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:02 IST
Reason: SelfAttested